(101)

21.4.15 HBर्थ

न्यायालय [redacted] मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2018–19 जिला–रतलाम

अपील-0469/2019/रतलाम/आ०अ०

मैसर्स सोम डिस्टलरीज एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड रोजराचक जिला – रायसेन म.प्र.

.... अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री .... द्वारा दिनांक 5-4-19 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 12.4.19 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता उज्जैन म.प्र.
2. सहायक आयुक्त आबकारी जिला – रतलाम म.प्र.
3. प्रभारी अधिकारी मैसर्स सोम डिस्टलरीज एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड रोजराचक जिला रायसेन म.प्र.
4. प्रभारी अधिकारी विदेशी मदिरा भाण्डागार जावरा जिला – रतलाम म.प्र.

.... प्रत्यर्थीगण

5/04/19

न्यायालय उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 49/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 29.01.2019 के विरूद्ध आबकारी अधिनियम सन् 1915 की धारा 62 (2सी) के अधीन अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से सविनय प्रार्थना–पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के तथ्य :

1. यहकि, अपीलार्थी कम्पनी मैसर्स सोम डिस्टलरीज एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड रोजराचक जिला रायसेन से शासकीय विदेशी मदिरा भाण्डागार जावरा जिला रतलाम को परमिट क्रमांक 1706 दिनांक 15.07.2017 एवं परमिट क्रमांक 17599 दिनांक 15.07.2017 को क्रमशः 9360.0, 2400.0 एवं 10920.0 विदेशी मदिरा माल्ट को वाहन क्रमांक आर.जे 19 जी.सी. 2377 एवं आर.जे. 19 जी.बी. 8577 से प्रेषित की गयी थी।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

अपील 0469 / 2019 / रतलाम / आबकारी

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
5.4.19	अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि प्रकरण आज ही सुन लिया जावे। अनावेदक के अधिवक्ता शासन की ओर से उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क कायमी एवं स्थगन के बिन्दु पर सुनें। वर्तमान प्रकरण उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता उज्जैन के आदेश दिनांक के विरूद्व प्रस्तुत की गई है जबकि अपील आयुक्त आबकारी म0 प्र0 ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिये थी। इस संबंध में अधिवक्ता का तर्क है कि आबकारी आयुक्त वर्स के लांयसेंस कार्यवाही में व्यस्त होने से मुख्यालय से वाहर है। इसलिये प्रकरण की वर्तमान स्थिति को देखते हुये सुनवाई की जा रही है। 2—तर्क में यह भी बताया गया है कि प्रकरण में आरोपित राशि का 25 प्रतिशत का चालान संलग्न किया गया है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय उपायुक्त आबकारी संभागीय उज्जैन के आंदेश दिनांक 29.1.19 का कियान्वयन स्थगितम किया जाता है तथा आबकारी आयुक्त ग्वालियर को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण का निराकरण गुणदोषों पर विधिवत रूप से करें। इसी निर्देश के साथ वर्तमान प्रकरण समाप्त किया जाता है। सदस्य	